



संख्या-509/2026//1449801/2026/001-CN-2060066-6-7099-273-2026

प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उ०प्र० लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 02 सितम्बर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में यूपी-112 परियोजना हेतु निष्प्रयोज्य पी०आर०वी० वाहनों के सापेक्ष 425 अदद नये पी०आर०वी० वाहनों के क्रय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-3/ख-14(डायल-112)-2026, दिनांक 17.07.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूपी-112 परियोजना के द्वितीय चरण के निर्बाध संचालन एवं बेहतर रिस्पांश हेतु निष्प्रयोज्य पी०आर०वी० वाहन के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार कुल 425 अदद पी०आर०वी० वाहनों के क्रय हेतु कुल धनराशि रु 56,68,35,000/- (रुपये छप्पन करोड़ अड़सठ लाख पैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	वर्तमान में निष्प्रयोज्य पी०आर०वी० वाहनों के सापेक्ष क्रय हेतु प्रस्तावित वाहनों की संख्या	GeM पोर्टल पर प्रति वाहन मूल्य (कर सहित रु लाख में)	कुल अनुमानित धनराशि (कर सहित रु लाख में)
1	Toyota Innova Crysta (G1, MT) Package, G-MT Diesel 7- Seater	140	18.87	2641.80
2	Mahindra Scorpio	225	13.19	2967.75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	Classic S 2WD BSVI			
3	Bajaj Pulsar -150 cc with kick start	60	0.98	58.80
	कुल योग	425		5668.35

(1) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/यूपी-112, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वाहनों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 के शा०दि० 26.11.2024 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उ०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/यूपी-112, उ०प्र० लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त वाहनों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब वाहनों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/यूपी-112, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित वाहनों के मेक/ मॉडल/ स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/यूपी-112, उ०प्र० लखनऊ क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(5) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/यूपी-112, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(6) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/यूपी-112, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28-03-2026 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/यूपी-112, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रश्रुत प्रायोजन हेतु वहन की जाने वाली धनराशि के सुसंगत लेखाशीर्ष की शुद्धता के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(8) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/यूपी-112, उ०प्र० लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि० 31 मार्च, 2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(9) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/यूपी-112, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य वाहन/उपकरण/सेवाएं क्रय न किया जाये, किसी प्रकार का विचलन न किया जाय।

(10) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/ऑडिट आपत्ति हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स/यूपी-112, उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 56,68,35,000/- (रुपये छप्पन करोड़ अड़सठ लाख पैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002071400 यू.पी. 112 परियोजना मानक मद 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-12-169-X-2026-27-दिनांक: 01-09-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव ।

संख्या-509/2026//1449801/2026/001-CN-2060066-6-7099-273-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- पुलिस महानिदेशक, यूपी-112, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
- 9- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।